

16/7/19

डी.आर. पी.एच. के. ए.पी. नोयल प्रेजिडेन्ट
कारण आज दिनांक 16/7/19 को
बिचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 3/9/19 को
की जायेगी है

3/9/19

डी.आर. पी.एच. के. ए.पी. नोयल प्रेजिडेन्ट
कारण आज दिनांक 3/9/19 को
बिचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 22/10/19 को
की जायेगी है

22.10.19

कमल फरीकेन उपस्थित। अर्पना-पत्र
धारा 212 R.T.A पर अभिभाषक
जणो डी. वल्लभ मुनी, वल्लभ पर
मनन विद्या लया फकाउली का -
अपलोवन करने पर प्रायागपति
विवाहित आराजी सामलान एवं
जर सामलान डी. मैत्रिक आराजी
है, जिसका आशीर्षक विधिवत विभाजन
करने हुआ है। दोनों परमजरात का
निमान परिम्य. कुंसी एवं सुविधा का
शतनुषन लाबिह हो रहा है। जब
तब विधिवत विभाजन आगे नहीं
हो लया शक्तिर डित्टी उजर का प्रिण्ट
सैज नहीं हो, ऐसी स्थिति में दोनों
परमजरातों को पसंद किया जाना
उचित समझते हैं।

अतः सामलान एवं जेरे
सामलान का सा डोकेण्डा का लडु
अर्थात् निष्पेयारात में बांटेन किया
जाता है कि आराजी रकम 7079
7219, 7220, 7110 कुल कीला-4
कुल 2355 5 बीघा 3 पित्त गार्ड
गाम कल्या डोली परकार मण्डल


P.T-0

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

करोली- 10 तहसील करोली में
रिडर्स एवं मीटर डी ~~फ्लोरिड~~
यथा स्थिति बनाये रखें। आपस में
एक-दूसरे कृपण नहीं करें। जिससे
एक-दूसरे हड्डों पर विचाररूपका
पडे। फवागली डेपुटि शुमार वा
उपकील शुलगाण में एक डीग ३
जाये। निर्णय सुनाया गया।


जयपाल अ. अ. अ. अ.
करोली (राज.)